सुम्कोदेवी बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

निर्णय

28-6-22 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी की तलबी हो जाने का कथन करते हुए निवेदन किया गया। कि वर्षा का मौसम आ गया है। पत्थरगढी के अभाव में अपनी खातेदारी भूमि पर फसल काश्त कर उसकी सुरक्षा हेतु तारबन्दी नही कर पा रहा हूं। बहस सुनी जाकर पत्रावली निस्तारित की जावे।

पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थी को नोटिस तामील कराये एक माह से अधिक समय हो चुका है। इसलिए अप्रार्थी [illegible] पेश नहीं होने से अवसर बन्द किया जाता है। तथा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस एक तरफा सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों का दुहराव ~~किया~~ करते हुए कथन किया कि ग्राम डागाहेडी स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा सं. 117 रकबा 4.05 हैक्टर की पत्थरगढी करने का आदेश जारी करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन करने पर पाया गया कि ग्राम डागाहेडी तहसील इन्द्रगढ स्थित खसरा संख्या 117 रकबा 4.05 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थी सुम्कोदेवी पत्नी बनयसिंह एक मात्र खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड अनुसार है। जिसका सीमाज्ञान उसके द्वारा दिनांक 8-7-2018 को करवाया जा चुका है। फर्द सीमाज्ञान अनुसार दौराने सीमाज्ञान मौके पर कब्जे सम्बन्धी कोई विवाद नही है।

क्रमशः

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। एवं तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह वर्तमान शजरा व नक्शे अनुसार प्रार्थीया की कृषि भूमि खसरा सं. 117 रकबा 4.05 हैक्टर वाके ग्राम डगारेडी तहसील इन्द्रगढ़ का सीमांकन करवाते हुए पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28-6-22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बूंदी)	तहरीर क्र. 324 1-7-22